डिक्टेशन-305

नेतृत्व प्रदान करने के लिये हमें अपना सबसे अच्छा प्रधानमंत्री या कोई भी दूसरा नेता चुनने का हक़ है। हमारे नेता को अपने देश के पक्ष में सोचने के लिये पर्याप्त दक्षता होनी चाहिये। देश के सभी राज्यों, गाँवों और शहरों के बारे में उसको एक बराबर सोचना चाहिये जिससे नस्ल, धर्म, गरीब, अमीर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अशिक्षा आदि के बिना किसी भेदभाव के भारत एक अच्छा विकसित देश बन सकता है। देश के पक्ष में हमारे नेताओं को प्रभुत्वशाली प्रकृति का होना चाहिये जिससे हर अधिकारी सभी नियमों और नियंत्रकों को सही तरीके से अनुसरण कर सकें। इस देश को एक भष्ट्राचार मुक्त देश बनाने के लिये सभी अधिकारियों को भारतीय नियमों और नियामकों का अनुगमन करना चाहिये। "विविधता में एकता" के साथ केवल एक भष्टाचार मुक्त भारत ही वास्तविक और सच्चा देश होगा। हमारे नेताओं को खुद को एक खास व्यक्ति नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वो हम लोगों में से ही एक हैं और देश को नेतृत्व देने के लिये अपनी क्षमता के अनुसार चयनित होते हैं। एक सीमित अंतराल के लिये भारत के लिये अपनी सच्ची सेवा देने के लिये हमारे द्वारा उन्हें चुना जाता है। इसलिये, उनके अहम और सत्ता और पद के बीच में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिये। भारतीय नागरिक होने के नाते, हम भी अपने देश के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमें अपने आपको नियमित बनाना चाहिये, ख़बरों को पढ़ें और देश में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरुक रहें, क्या सही और गलत हो रहा है, क्या हमारे नेता कर रहें हैं और सबसे पहले क्या हम अपने देश के लिये कर रहें हैं। पूर्व में, ब्रिटिश शासन के तहत भारत एक गुलाम देश था जिसे हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के द्वारा बहुत वर्षों के संर्घषों के बाद आजादी प्राप्त हुई। इसलिये, हमें आसानी से अपने सभी बहुमूल्य बलिदानों को नहीं जाने देना चाहिये और फिर से इसे भ्रष्टाचार, अशिक्षा, असमानता और दूसरे सामाजिक भेदभाव का गुलाम नहीं बनने देना है। आज का दिन सबसे बेहतर दिन है जब हमें अपने देश के वास्तविक अर्थ, स्थिति, प्रतिष्ठा और सबसे जरुरी मानवता की संस्कृति को संरक्षित करने के लिये प्रतिज्ञा करनी चाहिये। धन्यवाद, जय हिन्द सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इस पावन बेला पर दो शब्द बोलने का मौका मिला। मै यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और अभिभावक-गणों को प्रणाम कर अपनी बात को आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहती हूँ। हम सब यहाँ अपने 71वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए है। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने में दो-चार त्योहार पड़ते ही रहते है। लेकिन उनमें से भी तीन पर्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, क्रमशः गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयन्ती, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते है। आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित

संकलनकर्ता:- राजन निकास, महेन्द्र शर्मा एवं अंकित विश्नोई
Copyright ©by Shorthand Online
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced stored in a retrieval system of transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Shorthand Online.

हुआ था। आजादी की लंबी लड़ाई और लाखों कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। परंतु ये आजादी अधूरी थी; उस समय हमारा देश कई टुकड़ो में बटा था, जिसे एक करना देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। बिना अनुशासन के किसी का भी विकास संभव नही। चाहे व्यक्ति हो या देश। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 299 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने की थी। इसकी पहली बैठक 1946 के दिसंबर महीने में हुई थी। और 2 साल 11 महिने 18 दिनो में अन्ततः 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसके पीछे भी ऐतिहासिक कहानी है, यूं हि इस दिन को गणतंत्र दिवस के लिए नहीं चुना गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज ही के दिन, 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे अलग-अलग देशो के संविधानों को पढ़ने के बाद, उनकी अच्छी-अच्छी बातों को ग्रहण किया गया है। ///***कुल शब्द 701 धन्यवाद Dictation Recoded By RajanNikas Date 13.03.2020***

www.shorthandonline.com

संकलनकर्ता:- राजन निकास, महेन्द्र शर्मा एवं अंकित विश्नोई
Copyright ©by Shorthand Online
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced stored in a retrieval system of transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Shorthand Online.